राजस्थान सरकार
गृह (मुख्य सतर्कता आयुक्त) विभाग

क्रमांक प.60(1)सी.वी.सी./03 जयपुर, दिनांक 01.06.2004

महानिदेशक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– ए.सी.बी. प्रकरणों में लोकसेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के संबंध में।

दिनांक 26.05.04 को प्राक्कलन समिति के समक्ष विचार विमर्श के दौरान यह बिन्दु ध्यान में लाया गया कि कई प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद भी लम्बे समय तक न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बाद ए.सी.बी. द्वारा एक माह की अवधि में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जावें। विषम परिस्थितियों में यह अवधि किसी भी स्थिति तीन माह से अधिक ना हो।

यदि अभियुक्त चालान के समय न्यायालय में उपस्थित होने में आनाकानी करता है या चालान से बचने के प्रयास करता है तो इसके लिए कानून के प्रावधानों के अनुरूप उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया जाकर चालान प्रस्तुत किये जाने का विकल्प भी उपलब्ध है। मुल्जिम चालान के समय उपस्थित नहीं हो, ऐसा अवसर उसे नहीं दिया जावें अतः उक्त निर्देशों की शीघ्र पालना की जावें।

भवदीय,

एस.डी.
(सुरेन्द्र कुमार)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, न्याय, परिवहन विभाग,
एवं पदेन मुख्य सतर्कता आयुक्त